रेलटेल
RAILTEL
A mini ratna enterprise

Ref: RailTel/Sectt/21/SE/S-16 **Date: March 23, 2021**

To **Listing Department,** **National Stock Exchange of India Limited** **'Exchange Plaza', C-1, Block G,** **Bandra - Kurla Complex, Bandra (E),** **Mumbai - 400 051**	**To** **Corporate Relationship Department,** **BSE Limited, Rotunda Building,** **P J Towers, Dalal Street, Fort,** **Mumbai - 400 001**
Scrip Symbol- RAILTEL	**Scrip Code- 543265**

Sub: Submission of Newspaper Publication regarding Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and nine months ended 31st December, 2020.

Dear Sir/Madam,

Copy of advertisement published in Newspaper (English and Hindi daily) in relation to Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 as approved by the Board of Directors in their meeting held on 22nd March, 2021 are enclosed herewith for your information and record. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.railtelindia.com

2. Please take note of the above information on record.

Thanking You,

Yours Sincerely,
For RailTel Corporation of India Ltd.

23/03/2021

J S Marwah
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. - FCS 8075

Encl: As above

संसद ने दी बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 मार्च।

संसद ने 'बीमा (संशोधन) विधेयक-2021' को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा बढ़ाकर 74 फीसद करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में सोमवार को इस विधेयक को मंजूरी दी गई जबकि पिछले सप्ताह गुरुवार को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ था।

निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 फीसद करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि कंपनियां यह तय कर सकें कि उन्हें किस सीमा तक एफडीआइ लेना है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र अत्यंत विनियमित क्षेत्र है जिसमें हर चीज, यहां तक कि निवेश से ले कर विपणन तक का विनिवेश होता है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां तरलता के दबाव का सामना कर रही हैं। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 फीसद करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 फीसद करने का प्रावधान

क्षेत्र के नियामक ने सभी पक्षों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने 'बीमा (संशोधन) विधेयक-2021' को मंजूरी दे दी।

सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेचे जाने के आरोप गलत हैं ओर वे ऐसे ही रहेंगे। बजट में घोषित नीति में इसका स्पष्ट उल्लेख है। उन्होंने विपक्ष के कुछ सदस्यों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि कोई हमारे पैसे को बाहर लेकर नहीं जाएगा, पैसा हमारा यहीं रहेगा। और तो और मुनाफे का एक हिस्सा भी यहीं रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का एलआइसी से कोई लेनादेना नहीं है। यह विधेयक बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब बीमा क्षेत्र की बात की जाती है तो यह ध्यान देना चाहिए कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की सात कंपनियां और निजी क्षेत्र से जुड़ी 61 कंपनियां हैं।

मंत्री ने कहा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तब बीमा कवर बढ़ना चाहिए। देश के दलितों, शोषितों, वंचित वर्गों सभी को सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसी सोच के तहत जीवन ज्योति बीमा योजना पेश की थी। उन्होंने यूपीए के समय भाजपा द्वारा इस विधेयक का विरोध किए जाने की विपक्षी सदस्यों की टिप्पणी पर कहा कि तब हमारे नेताओं ने इसके विरोध में कदम लिया था जो तब की स्थिति के अनुसार था क्योंकि तब सुरक्षा मानक नहीं थे, लेकिन आज हम पर्याप्त सुरक्षा मानक लाए हैं। कांग्रेस के एक सदस्य की टिप्पणी का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था लेकिन 'भ्रष्टाचार के राष्ट्रीयकरण का काम यूपीए के समय हुआ। उसे सुधारने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने नीरव मोदी आदि का नाम लिया, लेकिन उनका पालन-पोषण करने वाली कांग्रेस ही थी।

राजनाथ सिंह ने किया पूर्व नौकरशाह एसके जोशी की किताब का लोकार्पण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 मार्च।

तेलंगाना में वरिष्ठ नौकरशाहों की फेहरिस्त में शैलेंद्र कुमार जोशी जाना माना नाम हैं। तेलंगाना सरकार में मुख्य सचिव की भूमिका से निवृत्त होने के बाद उनका ज्यादातर समय पढ़ने लिखने में ही बीतता है। अपनी हालिया प्रकाशित किताब 'एक प्रतिध्वनि-जन केंद्रित शासन की ओर' को लेकर वे खूब उत्साहित हैं।

इस पुस्तक का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को किया। बेहतर शासन और प्रशासन का मकसद समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लोकोपकारी काम की पहुंच बनाना है। व्यावहारिक तौर पर इसके उलट सत्ता में बैठे और उन तक पहुंच रखने वाले लोगों का कल्याण वरीयता के हिसाब से हो पाता है, जो कतई जायज नहीं है। किताब में सरकारी परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण के उपायों को और संवेदनशील बनाने की बात कही गई है। बेहतर शासन व्यवस्था के लिए विधायिका के साथ ही न्यायपालिका और कार्यपालिका की दुरुस्त व्यवस्था जरूरी है। इन संस्थाओं के भीतर आंतरिक दिक्कतों के चलते कई बार परेशानी आती है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण जरूरी है। जोशी ने अफसरशाही के रोल को समझाते हुए किताब में लिखा है कि अफसरों का दायित्व अपने राजनीतिक आकाओं को बेहतर सलाह देना होता है। उन्होंने किताब में दिल्ली प्रतिनियुक्ति को लेकर कई मजेदार वाकयों का उल्लेख किया है।

राष्ट्रध्वज के चित्रण वाला केक काटना अपराध नहीं : अदालत

चेन्नई, 22 मार्च (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को व्यवस्था दी कि राष्ट्रीय ध्वज का चित्रण करने वाला केक काटना और उसे खाने को संबंधित अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति एन आनंद और न्यायमूर्ति वेंकटेश ने यह व्यवस्था कोयंबटूर में एक पुलिसकर्मी से आपराधिक मूल याचिका स्वीकार करते हुए दी। अदालत ने कहा कि ऐसे कृत्य को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। 25 दिसंबर, 2013 को कोयंबटूर में क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में छह फुट लंबा और पांच फुट चौड़ा एक केक काटा गया था जिस पर लगी आइसिंग से भारतीय मानचित्र और तिरंगा झंडा बनाया गया था। उसके बीच में अशोक चक्र भी बना था। इसे विशेष मेहमानों और 1000 बच्चों सहित लगभग 2,500 प्रतिभागियों के बीच वितरित किया गया था, उसे खाया गया था। तब कोयंबटूर जिला कलक्टर और एक डीसीपी भी उस समारोह में शामिल हुए थे।

इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए हिंदू पब्लिक पार्टी के डी सेंतिल कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया जिसने 17 फरवरी, 2017 को अधिनियम की धारा 2 के तहत अपराध के लिए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अंतिम रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।

इसके खिलाफ स्थानीय इंस्पेक्टर ने हाई कोर्ट का रुख किया। इसे स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि देशभक्ति भौतिक कार्य से निर्धारित नहीं होती। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में यदि शिकायत में बताए गए सभी तथ्यों को वैसे ही लिया जाए जैसा वह है, यह देखा जाना चाहिए कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रतिभागियों ने क्या महसूस किया होगा। क्या वे इस महान राष्ट्र से संबंधित होने पर गर्व महसूस कर रहे थे या जश्न के दौरान केक काटने मात्र से भारत का गौरव कम हो गया। न्यायाधीश ने कहा- बिना किसी हिचकिचाहट के यह अदालत कह सकती है कि प्रतिभागियों ने केवल पहले वाला महसूस किया होगा, बाद वाला नहीं। उचित समझ के लिए न्यायाधीश ने स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस समारोह में व्यापक भागीदारी वाले एक काल्पनिक मामले का हवाला दिया। उन्होंने कहा- ऐसे समारोहों के दौरान प्रतिभागियों को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया जाता है।

वास्तव में प्रतिभागी आयोजन स्थल से जाने के बाद हमेशा ध्वज साथ नहीं रखते और यह किसी अन्य बेकार कागज का हिस्सा बन जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रतिभागी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि शिकायत में कोई अपराध साबित नहीं होता।

परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र होमगार्ड महानिदेशक का पदभार संभाला

मुंबई, 22 मार्च (भाषा)।

मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने सोमवार को महाराष्ट्र होमगार्ड के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सिंह दोपहर में दक्षिण मुंबई स्थित होमगार्ड कार्यालय पहुंचे लेकिन उन्होंने मीडियाकर्मियों से कोई बातचीत नहीं की। उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर एक वाहन में विस्फोटक सामग्री पाए जाने के मामले को लेकर आलोचना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 17 मार्च को सिंह का तबादला कर दिया था और उनके स्थान पर वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया था। इसके कुछ दिन बाद सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे और अन्य पुलिस अधिकारियों को प्रतिमाह सौ करोड़ रुपए की उगाही करने का निर्देश दिया था। देशमुख ने इन आरोपों का खंडन किया है। एनआइए विस्फोटकों से लदे वाहन मामले की जांच कर रही है।

मतदान से 72 घंटे पहले बाइक रैलियों पर रोक

नई दिल्ली, 22 मार्च (भाषा)।

निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन और इससे 72 घंटे पहले चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में 'बाइक रैलियों' पर सोमवार को रोक लगाने का निर्देश जारी किया।

आयोग ने यह कदम इन खबरों के बीच उठाया है कि 'समाज विरोधी तत्व' बाइक का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने के लिए करते हैं।

चुनावी राज्यों-पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देश में निर्वाचन आयोग ने रेखांकित किया है कि संज्ञान में आया है कि 'कुछ स्थानों पर समाज विरोधी तत्व मतदान के दिन से पहले या मतदान के दिन बाइक का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने के लिए करते हैं।'

निर्देश में कहा गया है कि संबंधित खबरों पर विचार करने के बाद आयोग ने निर्णय किया है कि 'सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन से 72 घंटे पहले या मतदान के दिन किसी भी स्थान पर बाइक रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।'

पत्नियों का उत्पीड़न करने वाले एनआरआइ पतियों पर कार्रवाई संबंधी मामले में नोटिस जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह उस याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा जिसमें पत्नियों को छोड़ने वाले और दहेज के लिए उन्हें परेशान करने वाले प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) पतियों की आवश्यक गिरफ्तारी का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता महिलाओं के समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रह्मण्यम के पीठ से कहा कि मामले में बयान पूरे हो चुके हैं और वे दलीलों के लिए तैयार हैं। पीठ ने कहा कि वह मामले को जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर रहा है।

गैर सरकारी संगठन 'प्रवासी लीगल सेल' की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि उन्होंने मामले में अलग से एक याचिका दायर की है और इस मुद्दे पर वे अदालत की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मामले में नोटिस जारी किया जाए। पीठ ने दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि उन्होंने भी मामले में अलग से याचिका दायर की है और इस पर नोटिस जारी किया जाए।

शीर्ष अदालत ने 13 नवंबर 2018 को संबंधित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। जिसमें आग्रह किया गया है कि परित्यक्त महिलाओं को कानूनी और वित्तीय मदद मिलनी चाहिए। साथ ही उनके एनआरआइ पतियों को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एनआरआइ पतियों द्वारा छोड़ी गईं और उनके द्वारा दहेज उत्पीड़न की शिकार हुईं महिलाओं के एक समूह ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर अलग रह रहे अपने पतियों की आवश्यक गिरफ्तारी और विदेश में मुकदमा लड़ने के लिए दूतावास संबंधी मदद सहित अन्य राहत मांगी हैं।

मप्र में कोरोना से जागरूक करने के लिए चलेगा अभियान

भोपाल, 22 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को जिलों में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की और लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए मास्क पहनने की जरूरत पर जागरूक करने के लिए अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चौहान ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि सभी सोशल मीडिया पर 'मेरा मास्क मेरी सुरक्षा' का संदेश पोस्ट करें और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोजाना सुबह 11 बजे और शाम सात बजे सायरन बजाकर लोगों को मास्क पहनने के बारे में सचेत करें। इस काम में जनप्रतिनिधियों और धार्मिक नेताओं का भी सहयोग लें। चौहान ने एनएसएस कार्यकर्ताओं और एनसीसी कैडेट्स से भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। होली के त्योहार पर अधिक मेल-जोल से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने लोगों को 'मेरे घर में मेरी होली' का नारा दिया। चौहान ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य में किसी पारंपरिक मेले का आयोजन न हो और न ही किसी कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग उपस्थित हों। उन्होंने महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिलों में कड़ी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में रविवार को कोविड-19 के 1,322 नए मामले सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 2,75,727 तक पहुंच गई है। रविवार को तीन मौतों के साथ ही इस महामारी से प्रदेश में मरने वालों की संख्या 3,906 हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 663 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिससे मध्य प्रदेश में इस बीमारी से उबरने वालों की गिनती 2,63,821 हो गई है।

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
(प्रवर्तकः पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालयः राम गंगा विहार, फेज-2, मुरादाबाद
क्षेत्रीय कार्यालयः 18 संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, गाजियाबाद (उ0प्र0)
फोनः 8192805245, 0120-2783333,
E-Mail- rmgzb@prathamaupbank.com

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत बैंक को बंधक चल/अचल सम्पत्तियाँ नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक/भौतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्ति को जैसा है जहाँ है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6), 6(2) व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्तियों का विवरण	देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य रू0	अर्नेस्ट राशि रू0	कब्जा की तारीख	नीलामी की दिनांक, समय व स्थान
1.	मेरठ मेन (मेरठ)	ऋणीः श्री शफीक पुत्र श्री मो0 लाईक प्रोपराइटर मैसर्स आर. आर. प्रिन्टर्स, गारन्टरः मो0 सलीम पुत्र फाहिम व मो0 लाईक पुत्र मो0 सिद्दीकी 9151IA00003027 & 91518700000408	चल सम्पत्तिः कलर आफसेट प्रिंटिंग मशीन जैक्शन एण्ड कंपनी जेनरेटर पेपर कटर मशीन, दो कूलर, एक अलमारी, 500 लीटर की पानी टंकी, इन्वर्टर, स्क्रैप पेपर इत्यादि।	रू0 219647/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली यदि हो तो	रू0 330000/-	रू0 33000/-	30.05.19	दिनांकः 09.04.2021, शुक्रवार समयः अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थानः प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, शाखाः मेरठ मेन पताः सी-39/5, जाग्रति विहार मेरठ।
2.	रेलवे रोड (मेरठ)	ऋणीः श्री हरीओम शर्मा पुत्र श्री ब्रहम दत्त शर्मा गारन्टरः श्रीमती आयुषी पत्नी श्री सोनू - 9155NC00004041, 9155930003292	म0 नं0 2C-576 - 2C-577, स्कीम नं0 10, सै0 3, माधवपुरम, मेरठ। जिसका क्षेत्रफल 69.14 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय मेरठ के बही सं0 1, जिल्द सं0 12338 पृष्ठ सं0 1-44 क्र0 सं0 7344 दिनांक 29.08.2017 पर दर्ज है।	रू0 2652854/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली यदि हो तो	रू0 2700000/-	रू0 270000/-	03.09.19	दिनांकः 09.04.2021, शुक्रवार समयः अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थानः प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, शाखाः मेरठ मेन पताः सी-39/5, जाग्रति विहार मेरठ।
3.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	ऋणीः श्री अमित कुमार पुत्र श्री अजय कुमार गारन्टरः श्री संजीव कुमार पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह 9134NC00002862	मकान नं0 L-373, भूतल, सेक्टर 9, विजय नगर, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 25.61 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक पंचम गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 5216 पृष्ठ सं0 1-58 क्र0 सं0 6422 दिनांक 11.12.2015 पर दर्ज है।	रू0 1164826/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली यदि हो तो	रू0 1000000/-	रू0 100000/-	06.07.18	दिनांकः 08.04.2021, गुरूवार, समयः अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थानः प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, इन्दिरापुरम। पताः प्लाट नं0 1031 निति खण्ड 1, गाजियाबाद।
4.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	ऋणीः श्रीमती मंजू लता बराल पत्नी श्री रबिन्दर बराल गारन्टरः श्री बासदेव रजेत पुत्र श्री जालन्धर रजेत व श्री अमित शर्मा पुत्र श्री राम शर्मा। (9134NC00002075)	मकान नं0 S.K.-1/282 (LIG), भूतल शक्ति खण्ड 1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद। जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 28.90 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 26271 पृष्ठ सं0 333-398 क्र0 सं0 44898 दि0 27.[illegible].2013 पर दर्ज है	रू0 1874239/- + ब्याज + अन्य खर्चे - वसूली यदि हो तो	रू0 1233000/-	रू0 123300/-	15.06.18	दिनांकः 08.04.2021, गुरूवार, समयः अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थानः प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, इन्दिरापुरम। पताः प्लॉट नं0 1031 निति खण्ड1, गाजियाबाद।

उक्त के सम्बन्ध में सम्पर्क करें: -1. श्री विनोद कुमार, शाखा प्रबंधक, मेरठ मेनः 8192804151, क्र0 सं0 1 के लिए, 2. संजीव अग्रवाल, शाखा प्रबंधक, रेलवे रोडः 8859590555- क्रम सं. 2 के लिए, 3. श्री संजय कोहली, शाखा प्रबंधक, इन्दिरापुरमः 0120-2605793, 9634942425- क्रम सं. 3 से 4 के लिए।

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है। नियम एवं शर्ते : (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेंगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेंगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक निम्नानुसार जमा करनी होगीः (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई0एम0डी0 प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई0एम0डी0 नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल/टैक्स /बिजली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीय एवं कर जो भी होगें भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) नीलामी का समय उक्तानुसार ही रहेगा। **ऋणियों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि को नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।**

नियम एवं शर्तेः 1.उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेंगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेंगी। 2.नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक निम्नानुसार जमा करनी होगी।

शाखा का नाम	अर्नेस्ट धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि	भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट के पक्ष में
इन्दिरापुरम	07.04.2021	प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, शाखा इन्दिरापुरम
मेरठ मेन	08.04.2021	प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, शाखा मेरठ मेन
रेलवे रोड	08.04.2021	प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, शाखा रेलवे रोड

दिनांकः 22.03.2021 स्थानः गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लेट-ए, छठा तल, ऑफिस ब्लॉक टॉवर-2, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
दूरभाष नं.: +91-11 22900600 फैक्सः +91- 11 22900699
वेबसाइटः www.railtelindia.com; ई-मेलः cs@railtelindia.com; सीआईएनः U64202DL2000GOI107905
रेलटेल RAILTEL

31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के वित्तीय परिणामों का सार

(लाख रु. में)

विवरण	स्टैंडअलोन						समेकित					
	31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ माह (लेखापरीक्षित)	31 दिसंबर, 2019 को समाप्त नौ माह (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ माह (लेखापरीक्षित)	31 दिसंबर, 2019 को समाप्त नौ माह (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
परिचालन से कुल आय	39,473	26,545	25,814	90,780	71,341	1,08,063	41,060	28,297	27,020	94,800	73,542	1,12,805
शुद्ध लाभ (हानि) (कर पूर्व और विशिष्ट मदें)	9,370	3,778	5,255	15,359	15,272	23,044	9,412	3,990	5,324	15,630	15,395	23,406
शुद्ध लाभ (हानि) (कर पूर्व और विशिष्ट मदों के उपरांत)	9,370	3,778	5,255	15,359	15,272	18,114	9,412	3,990	5,324	15,630	15,395	18,476
कर उपरांत शुद्ध लाभ	6,934	2,768	4,271	11,321	11,735	13,835	6,966	2,926	4,323	11,524	11,828	14,107
कुल समग्र आय	6,862	2,737	4,271	11,218	11,735	13,334	6,894	2,895	4,323	11,421	11,828	13,606
इक्विटी शेयर पूंजी	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094
अन्य इक्विटी	-	-	-	1,08,446	1,02,435	1,04,034	-	-	-	1,09,454	1,03,061	1,04,839
प्रति शेयर आय (तिमाही/नौमाही के समाप्त की वार्षिकृत नहीं)												
(10/-रु. प्रति के अंकित मूल्य)												
(क) मूल प्रति शेयर आय (रु. में)	2.16	0.86	1.33	3.53	3.66	4.31	2.17	0.91	1.35	3.59	3.69	4.40
(ख) घटाएं प्रति शेयर आय (रु. में)	2.16	0.86	1.33	3.53	3.66	4.31	2.17	0.91	1.35	3.59	3.69	4.40

टिप्पणियां :

1. उपर्युक्त स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और सिफारिश की गयी है और 22 मार्च, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उनके द्वारा अनुमोदन किया गया है। 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह के वित्तीय परिणामों का कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों ने ऑडिट किया है। 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों की लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा नहीं की गयी है चूंकि 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के आंकड़े प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के आधार पर तैयार किए गए हैं। तदनुसार, 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 30 जून, 2020 के समाप्त तिमाही के आंकड़ों (एमआईएस के आधार पर तैयार) और 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही के कुल आंकड़ों के बीच संतोलन आंकड़े हैं। 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह के आंकड़ो की लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा की जा चुकी है।
2. स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम, कंपनी अधिनियम 2013, उसके अंतर्गत संबद्ध नियमों के साथ पठित, के अनुच्छेद 133 के अधीन यथा अधिसूचित भारतीय लेखाकन मानकों (इंड एएस) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं} विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 33 की शर्तों में और अन्य स्वीकृत लेखांकन प्रक्रियाओं तथा आवश्यक सीमा तक नीतियों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. 3 माह के लिए कर पूर्व लाभ (वित्तीय वर्ष 2021 के 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए) 341 लाख रुपये की क्षति से हानि पर विचार करने के पश्चात् और 1582 लाख रुपये की संभावित क्रेडिट से हानि से आंका गया है। कथित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020 में वार्षिक आधार पर माना गया था।
4. वित्तीय वर्ष 2021 के नौ महीने का कर पूर्व लाभ 1818 लाख रुपये की क्षति से हानि पर विचार करने के पश्चात् और 5000 लाख रुपये की संभावित क्रेडिट से हानि से आंका गया है। कथित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020 में वार्षिक आधार पर माना गया था।
5. कंपनी ने क्षति से हानि की पहचान की है और 31.03.2020 को समाप्त वर्ष की एन.ई. परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में 'असाधारण मदों' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया है। नार्थ ईस्टर्न रीजन में यह परियोजना कठिन कार्य परिस्थितियों के कारण लंबे समय तक रुकी रही थीं। इस परियोजना को वर्तमान कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत लेखांकित किया गया है। क्षति से हानि की गणना संपूर्ण परियोजना के "कैश जनरेटिंग यूनिट" के रुप में लेकर की गयी है।
6. उपरोक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं} विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत फार्मेट का सार हैं। उपर्युक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों बीएसई (**www.bseindia.com/corporates**), एनएसई (**www.nseindia.com/corporates**) और कंपनी की वेबसाइट (**www.railtelindia.com**) पर भी उपलब्ध हैं।
7. 22 मार्च, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 5 अप्रैल, 2021 (सोमवार) को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित किया है।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए और की ओर से
हस्ता/-
पुनीत चावला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08303340

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 22-03-2021

INSOLVENCY RESOLUTION

Lenders to Lavasa extend bid deadline to March 31

ANKUR MISHRA
Mumbai, March 22

LENDERS TO LAVASA Corporation have extended the deadline for submission of bids till March 31, sources close to development told *FE*. Lenders had originally fixed November 2020 as the deadline to submit bids, but it was repeatedly extended as per requests from the bidders.

Bidders who had shown interest in Lavasa include Oberoi Realty, Haldiram Snacks, Pune-based Aniruddha Deshpande, and US-based fund Interups. The company is yet to receive final bids from suitors, as per sources.

The extension of deadline is seen as a last-ditch effort by the lenders to save the company from going into liquidation. "We are hopeful to get final bids from the suitors within the deadline," said one bank official aware of the development. "If we do not get any buyer, we will have no option but to recommend the company for liquidation," he said.

Lavasa is a subsidiary of construction major Hindustan Construction Company (HCC) and has been undergoing insolvency proceedings at the National Company Law Tribunal, Mumbai, since August 2018. The bankruptcy court had also approved the lenders' request to consolidate the township developer and its wholly owned subsidiaries, Warasgaon Assets Maintenance and Dasve Convention Centre, as one.

The Lavasa Hill City project was originally set up by HCC in 2000. Lavasa, however, defaulted on bank loans after the environment ministry issued a stop-work order to the project in 2010. The company has total admitted claims of ₹5,561 crore from financial creditors.

Union Bank of India has the highest admitted claims of ₹701 crore, while Bank of India has claims worth ₹567 crore. Similarly, Axis Bank has admitted claims worth ₹511 crore and Central Bank of India has claims of ₹507 crore.

Tata-led JV wins bid for MAHSR project work

FE BUREAU
New Delhi, March 22

THE JOINT VENTURE of Tata Consulting Engineers, Consulting Engineers Group, Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants and PADECO Company has quoted the lowest bid at ₹1,111 crore for the construction of civil works packages of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail (MAHSR) project.

The work includes supervision of 13 civil works packages of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project

Financial bids for the project's management consultancy services were opened on Monday. This includes supervision of all 13 civil works packages including viaducts, concrete/ steel bridges, tunnels (undersea and mountain tunnels), civil work of all 12 stations, maintenance depots, and training institute building. The tenure of the contract is 96 months. The other participant which qualified in the technical bid evaluation is the Nippon Koei Company, Oriental Consultants Global Company and RITES consortium.

Online beauty retailer Purplle raises $45 m from Sequoia, existing investors

FE BUREAU
New Delhi, March 22

ONLINE BEAUTY RETAILER Purplle on Monday said it has closed a $45-million funding round backed by new investor Sequoia Capital India and existing backers Verlinvest, Blume Ventures and JSW Ventures.

The company will use the capital to fund its growth. The firm aims to "deliver eight-ten times growth in the next four to five years", it said in a statement. The brand already claims to be witnessing a surge in overall volumes, transaction value, and an increase in users.

In December 2019, the company that competes with deep-pocketed players like Nykaa secured $30 million in funding from a clutch of investors led by Goldman Sachs.

"Even with a Covid year, we have delivered more than 90% GMV (gross merchandise value) CAGR for the last three years. This, while scaling our private brands successfully. The investment will help to shape Purplle into a multibillion-dollar, digital-first, beauty and personal care enterprise," co-founder & CEO Manish Taneja said.

Sakshi Chopra, principal at Sequoia India, said Purplle has been able to build a business on high retention and low customer acquisition costs. Besides, it offers a wide assortment of brands at affordable prices and has been able to craft a decent private label portfolio mix. "We see Purplle emerging as a dominant beauty destination as the online beauty penetration grows from 10% to more than 25% over the next decade," said Chopra.

Founded in 2012, Purplle claims to have seven million monthly active users.

Bharat Gas to merge with Bharat Petroleum

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, March 22

THE BOARD OF privatisation-bound Bharat Petroleum (BPCL) on Monday approved the merger of its gas subsidiary BGRL with itself in a bid to streamline corporate structure.

"The board of directors of the company at its meeting today, ie March 22, 2021, has considered and approved the Scheme of Amalgamation of Bharat Gas Resources Ltd (BGRL) with the company (BPCL)," the firm said in a stock exchange filing.

BGRL is a 100% subsidiary of BPCL and its main business is gas sourcing and retailing. The merger will streamline the corporate structure and consolidate the assets and liabilities of BGRL within BPCL.

Also, it will help in "availing easier financial support for the business" of BGRL and "more efficient utilisation of capital for enhanced development and growth of the consolidated business in one entity", BPCL said.

It will also improve management oversight and bring in operational efficiencies, cost savings and reduction of administrative responsibilities.

"The amalgamation is in the interest of the shareholders, creditors and all other stakeholders and is not prejudicial to the interests of the concerned shareholders, creditors or the public at large," it said.

More Indians ready to buy e-vehicles, finds survey

A SURVEY HAS found that an increasing number of Indian customers are willing to buy electric vehicles (EVs).

According to the survey, conducted by auto tech firm CarDekho and Omnicom Media Group, 66% of the respondents said they were willing to buy EVs, of which 53% were strongly inclined to go electric. Among those surveyed, 13% were not yet ready whereas 19% decline to go either way. Nearly 70% of the respondents believed switching to EVs will help reduce air pollution.

The survey was to understand consumer awareness, interest and apprehensions related to e-vehicles.

FE BUREAU/CHENNAI

ITC, K'taka govt join hands for watershed development

FE BUREAU
Kolkata, March 22

DIVERSIFIED CONGLOMERATE ITC has entered into a partnership with the Karnataka government to execute a watershed development programme, covering over one million acres and 100 watersheds in the state.

The MoU, signed between ITC's social investments programme Mission Sunehra Kal and the Karnataka Watershed Development Department on March 5, will be in effect for three years. It is part of the state government's 'Watershed development for drought proofing' programme, which aims at covering 1.16 million acres of watershed area in 29 districts. ITC will create a consortium of experts to train the government team to apply the company's drought-proofing framework for planning, implementation, and monitoring of the programme. Ashesh Ambasta, executive V-P and head, social investments, ITC, said, "Our initiatives are aligned with government missions like Jal Shakti Abhiyan and More Crop Per Drop."

Venkatesh MV, commissioner, watershed development department, Karnataka government, said, "ITC [will carry out] trainings on drought proofing and support for the programme's implementation."

Hinduja Group launches new Berryllus Capital JV

THE UK-HEADQUARTERED Hinduja Group on Monday announced the launch of Berryllus Capital, a new joint venture (JV) focussed on investment management, investment banking and real estate advisory for ultra-high net worth families around the world.

The new JV with Nasdaq-listed Focus Financial Partners, a partnership of independent, fiduciary wealth management firms, is dubbed a multi-family office that will cater to some of the most prominent families in the world through offices in London, Geneva and Singapore. It will provide advice and integrated strategies for managing client investments, philanthropic endeavours and legacies. "We are partnering with great optimism on Berryllus Capital with Focus Financial Partners," said GP Hinduja, co-chairman, Hinduja Group.

—PTI

SALE NOTICE

LOHA ISPAAT LIMITED - in Liquidation
Liquidator: CA Anil Goel
Liquidator Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash–I, New Delhi -110048.
Email: assetsale1@aaainsolvency.in, lohaispat@aaainsolvency.com
Mob.- 8800865284 (Puneet Sachdeva)

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Date and Time of E-Auction: 08th April, 2021 at 3.00 pm to 5.00 pm
(With unlimited extension of 5 minutes each)
Last date of submission of EMD: 07th April, 2021

Sale of Assets and Properties owned by **Loha Ispaat Limited (in Liquidation)** forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated April 26, 2018 (order communicated on June 26, 2018). The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform **https://aaa.auctiontiger.net**

Asset	Block	Reserve Price	EMD Amount	Incremental Value
Plant & Machinery at Plot No. A-79, MIDC, Taloja Industrial Estate, Village Pendhar, Taluka Panvel, District Raigad	A	2.07 Crores	21 Lakhs	1 Lakh
Plant & Machinery at Plot No. A-69, MIDC, Taloja Industrial Estate, Village Pendhar, Taluka Panvel, District Raigad	B	3.47 Crores	35 Lakhs	1 Lakh
Cranes (Total 34 Cranes) at S. No. 2 (H. No.1, 2, 4, 4/A, 5 & 6), S. No. 4 (H. No.1, 2), S No.5 (H. No. 1/A, 1/B, 1/C/2, 2, 3,4), S.No. 6 (H. No. 2, 3), S. No. 7 (H. No. 1/A/1, 1/A/2, 1/A/3, 1/B, 1/C, 1D, 2 & 3), S. No. 96,at Village Ransai, Khopoli, Taluka Khalapur, District Raigad	C	9.25 Crores	92.5 Lakhs	2 Lakhs
Plant & Machinery (Excluding Cranes and Shed) at S. No. 2 (H. No.1, 2, 4, 4/A, 5 & 6), S. No. 4 (H. No.1, 2), S No.5 (H. No. 1/A, 1/B, 1/C/2, 2, 3,4), S.No. 6 (H. No. 2, 3), S. No. 7 (H. No. 1/A/1, 1/A/2, 1/A/3, 1/B, 1/C, 1D, 2 & 3), S. No. 96,at Village Ransai, Khopoli, Taluka Khalapur, District Raigad	D	43.06 Crores	4.3 Crore	5 Lakhs

Important Note:
1. E-Auction will be conducted on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS"** through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger).
2. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.
3. The Liquidator reserves the right to give priority to bidders who will participate in both BLOCK C and D to ensure maximum realization of assets. Hence, the bidder placing the highest bid cumulatively shall be declared as the successful bidder.
All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the website of AAA Insolvency Professionals LLP i.e. **https://insolvencyandbankruptcy.in/** and from the **E-Auction Process Document,** prior to submission of EMD and participation in the process. The Liquidator can be contacted on **lohaispat@aaainsolvency.com**

Date: 22-03-2021
Place: New Delhi

Sd/-
Anil Goel
Liquidator in the matter of Loha Ispaat Limited
IBBI (Regn. No- IBBI/IPA-001/IP-00118/2017-18/10253)
Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash – I, New Delhi -110048
Email: assetsale1@aaainsolvency.com, anilgoel@aaainsolvency.com
Contact No.: Mr. Puneet Sachdeva: +91-8800865284, 011-4666 4625

TATA MOTORS LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400 001.
Website: www.tatamotors.com E-mail: inv_rel@tatamotors.com
Corporate Identification No. (CIN) - L28920MH1945PLC004520

Notice

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, and Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that Interest/Redemption proceeds on Non-Convertible Debentures issued on Private Placement basis & listed on Wholesale Debt Market Segments of National Stock Exchange of India Limited and/or Bombay Stock Exchange Limited from April 1, 2021 to June 30, 2021 are due as under:

ISIN of Security	Security Description	Listed on	Record Date	Purpose
INE155A08282 (E-27B Series)	Issue of Rated, Listed, Unsecured, 8.40% Coupon, Redeemable Non-Convertible Debentures of ₹300 crores. Date of Maturity: May 25, 2021	NSE & BSE	May 8, 2021	Redemption and Payment of Annual Interest on May 25, 2021
INE155A07284 (E-29A Series)	Issue of Rated, Listed, Secured, 8.80% Coupon, Redeemable Non-Convertible Debentures of ₹1000 crores. Date of Maturity: May 26, 2023	NSE & BSE	May 11, 2021	Payment of Annual Interest on May 27, 2021
INE155A08340 (E-27H Series)	Issue of Rated, Listed, Unsecured, 7.50% Coupon, Redeemable Non-Convertible Debentures of ₹500 crores. Date of Maturity: June 22, 2022	NSE & BSE	June 5, 2021	Payment of Annual Interest on June 22, 2021
INE155A08365 (E-27I Series Tranche 2)	Issue of Rated, Listed, Unsecured, 7.40% Coupon, Redeemable Non-Convertible Debentures of ₹500 crores. Date of Maturity: June 29, 2021	NSE & BSE	June 12, 2021	Redemption and Payment of Annual Interest on June 29, 2021

Mumbai
March 22, 2021

For Tata Motors Limited
Sd/-
Hoshang K Sethna
Company Secretary

KESORAM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office:9/1 R. N. Mukherjee Road, Kolkata -700 001
CIN:L17119WB1919PLC003429
Phone: 033-2243 5453, 2242 9454, 2213 0441
Website: www.kesocorp.com; E-mail: corporate@kesoram.net

NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the **Extra-Ordinary General Meeting ('EGM')** of the Members of **Kesoram Industries Limited ('the Company')** will be held on **Tuesday, 13th April, 2021 at 03:00 P.M. (IST)** through Video Conference ('VC') or Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the businesses as set out in the Notice convening the EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under, read with General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 22/2020 dated 15th June, 2020, No. 33/2020 dated 28th September, 2020 and No. 39/2020 dated 31st December, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs **('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars')** without physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **('SEBI Listing Regulations')**, the Company has completed despatch of the Notice of the EGM through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent of the Company / Depository Participant(s). The requirement of sending physical copies of notices has been dispensed by the MCA Circulars.

The Notice of the EGM is available on the website of the Company at **www.kesocorp.com**, website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and on the website of the National Securities Depository Limited **(NSDL)** at **www.evoting.nsdl.com**. The EGM Notice was also sent to The Calcutta Stock Exchange Limited for necessary compliance.

Members can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of the Quorum. The instructions for joining the EGM through VC/OAVM are set forth in the Notice of the EGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in accordance with the Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its Members the facility to cast their votes in respect of the businesses to be transacted at the EGM using electronic means through the e-Voting platform provided by NSDL. Members holding shares in physical form or dematerialised form as on the **"Cut Off Date"** i.e. Tuesday, 6th April, 2021 can cast their votes through electronic voting system **("Remote e-Voting")** of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**. The detailed instruction of Remote e-Voting are given in the Notes to the Notice of the EGM. Members are requested to note the following: (i) The special business set out in the Notice shall be transacted through voting by electronic means only. (ii) The Remote e-Voting period commences on Friday, 9th April, 2021 from 9.00 A.M. (IST) and ends on Monday, 12th April, 2021 at 5.00 P.M. (IST). Remote e-Voting shall be disabled by NSDL after 5.00 P.M. (IST) on Monday, 12th April, 2021. Once a Member cast vote on a Resolution, she/he shall not be allowed to change it subsequently. (iii) Only those Members, who will be present in the EGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote through remote e-Voting are eligible to cast their vote through e-Voting at the EGM. Once a Member cast vote on a Resolution, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be proportionate to their share of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut Off Date. (iv) The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the EGM but shall not be eligible to cast their vote again at the EGM. (v) Any person who acquires share in the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the Cut-Off Date, may obtain the user ID and password by sending a request at **www.evoting.nsdl.com**. In the event, the person is already registered with NSDL for e-voting then the existing User ID and password can be used for casting their vote. The login credentials used for e-Voting may be used attend the EGM through VC/OAVM.

The Resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the Extra - Ordinary General Meeting subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the Resolutions.

Ritu Bajaj, a Practicing Company Secretary (ICSI CP No. 11933) has been appointed as the Scrutinizer by the Company to scrutinize entire e-Voting process in a fair and transparent manner.

The results of e-Voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the EGM by the Company and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website at **www.kesocorp.com**, NSDL's website at **www.evoting.nsdl.com** and also communicated to the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at **www.bseindia.com**, National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and The Calcutta Stock Exchange Limited at **www.cse-india.com**.

In case of any query / grievances with respect to remote e-Voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote e-Voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-Voting website or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms.Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400 013 at telephone nos. 022 - 24994360 / 022 - 24994545 or toll free no. 1800 - 222 - 990 or E-mail: **evoting@nsdl.co.in**.

Members who have not received e-mail or whose e-mail addresses are not registered with the Company/ Depository Participants are requested to register/update their e-mail addresses with their Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. Members who are holding shares in physical form requested to register/update their e-mail address with MCS Share Transfer Agent Limited, Kolkata at **mcssta@rediffmail.com** along with the following (i) Signed request letter mentioning the Name of Member(s), Address, Folio No. E-mail ID and Mobile no. (ii) Scanned copy of the share certificates (both sides) (iii) Self-attested copy of PAN Card (iv) Self-attested copy of any address proof as registered with the Company to receive the User ID and Password for remote e-Voting and instruction for participation in the EGM through VC/OAVM electronically.

For Kesoram Industries Limited
Sd/-
Akash Ghuwalewala
Company Secretary

Date: 22nd March, 2021
Place: Kolkata

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD

(A Govt. of India Undertaking)
Registered & Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office Block Tower - 2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023.
Phone: 011-22900600, **Fax:** 011-22900699 **Website:** www.railtelindia.com;
E-mail: cs@railtelindia.com; **Corporate Identity Number:** U64202DL2000GOI107905

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

Rs. in Lakhs

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter ended 31 December,2020 (Audited)	Quarter ended 30 September,2020 (Unaudited)	Quarter ended 31 December, 2019 (Unaudited)	Nine months ended 31 December 2020 (Audited)	Nine months ended 31 December 2019 (Unaudited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)	Quarter ended 31 December, 2020 (Audited)	Quarter ended 30 September,2020 (Unaudited)	Quarter ended 31 December, 2019 (Unaudited)	Nine months ended 31 December 2020 (Audited)	Nine months ended 31 December 2019 (Unaudited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)
Total income from Operations	39,473	26,545	25,814	90,780	71,341	1,08,063	41,060	28,297	27,020	94,800	73,542	1,12,805
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items)	9,370	3,778	5,255	15,359	15,272	23,044	9,412	3,990	5,324	15,630	15,395	23,406
Net profit / (loss) (before tax & after exceptional items)	9,370	3,778	5,255	15,359	15,272	18,114	9,412	3,990	5,324	15,630	15,395	18,476
Net profit after tax	6,934	2,768	4,271	11,321	11,735	13,835	6,966	2,926	4,323	11,524	11,828	14,107
Total comprehensive income	6,862	2,737	4,271	11,218	11,735	13,334	6,894	2,895	4,323	11,421	11,828	13,606
Equity share capital	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094
Other Equity	-	-	-	1,08,446	1,02,435	1,04,034	-	-	-	1,09,454	1,03,061	1,04,839
Earnings Per Share (not annualized for the Quarter/Nine months Ended)												
(Face Value of Rs.10/- each)												
(a) Basic EPS (in Rs.)	2.16	0.86	1.33	3.53	3.66	4.31	2.17	0.91	1.35	3.59	3.69	4.40
(b)Diluted EPS (in Rs.)	2.16	0.86	1.33	3.53	3.66	4.31	2.17	0.91	1.35	3.59	3.69	4.40

Note :
1. The above standalone and consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 22nd March' 2021. The Statutory Auditors of the company have conducted Audit of the financial results for the Quarter and nine months ended 31st December 2020. Figures for the quarter ended 30th September'2020 have not been reviewed by the auditor since results for the quarter ended 30th June'2020 have been prepared based on management information system (MIS). Accordingly, figures for the 3 months for quarter ended 30th September'2020 are balancing figures between the figures for the quarter ended 30th June'2020 (prepared based on MIS) and total figures of half year ended 30th September'2020. Figures for the quarter and nine months ended 31st December'2019 have been reviewed by the auditor.
2. The Standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
3. PBT for 3 months (for the quarter ended 31.12.2020 of FY 2021 has been arrived at after considering impairment loss of Rs. 341 lakhs and provision for expected credit loss of Rs. 1582 lakhs . The said provision was considered on annul basis in FY 2020.
4. PBT of 9 months of FY 2021 has been arrived at after considering impairment loss of Rs. 1818 lakhs and provision for expected credit loss of Rs. 5000 lakhs . The said provision was considered on annual basis in FY 2020.
5. The Company has recognized the impairment loss and shown under the head "Exceptional Items" in statement of profit and loss for NE Project for the year ended 31.03.20. This project was halted for the long time due to difficult working conditions in north eastern region. This project is currently accounted under the capital work in progress . Impairment loss have been calculated by taking the whole project as "Cash Generating Unit".
6. The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE (**www.bseindia.com/corporates**), NSE (**www.nseindia.com/corporates**) and Company's website at **www.railtelindia.com.**
7. The Board of Directors in their meeting held on 22nd March, 2021 has fixed the record date as 5th April, 2021 (Monday) as record date for the purpose of payment of interim dividend for the financial year 2020-21

For and on behalf of RailTel Corporation of India Limited
Sd/-
Puneet Chawla
Chairman & Managing Director
DIN : 08303340

Place : New Delhi
Dated : 22.03.2021